

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :-6/वि0पत्रा0-24-77/2023

पटना, दिनांक—

श्रीमती स्नेहा वर्मा, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल, मुजफ्फरपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-11.09.2024 से 18.12.2024 तक 99 (निन्यानवे) दिनों का उपार्जित अवकाश एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-180 एवं 236 के तहत दिनांक-19.12.2024 से 17.02.2025 तक शेष 61 दिनों का असाधारण अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्रीमती वर्मा के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (99-99=00) (शून्य) दिन का उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

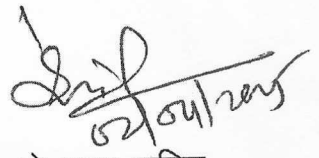
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-

(ज्योति प्रकाश)
सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/वि0पत्रा0-24-77/2023 1602

पटना, दिनांक-03/04/2025

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना -800015/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल, मुजफ्फरपुर/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती स्नेहा वर्मा, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।